उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग-2

संख्या :1677/छः-पु-2-2010-1100(139)-2008
लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2011

अधिसूचना

यू0पी0 प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी एक्ट, 1948 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 40, सन 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।	
	(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
नियम-2 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-	
सेवा की प्रास्थिति		स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
		2. प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी संवर्ग में समूह "ख" के पद, अर्थात् रिजर्व इन्स्पेक्टर और समूह "ग" के पद अर्थात रिजर्व सब-इन्स्पेक्टर, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी और आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी समाविष्ट हैं।	2. उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा ऐसी सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।
नियम-3 का संशोधन		3. उक्त नियमावली में, नियम-3 में - (क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ट) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		(ट) 'रिजर्व सब-इंस्पेक्टर' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली	(ट) 'रिजर्व सब-इंस्पेक्टर' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस नियमावली के अधीन या इस

		के अधीन नियुक्त किया गया है, जिसे किसी नीति के अन्तर्गत पुलिस विभाग की किसी इकाई सहित प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में समान पद पर तैनात या स्थानान्तरित किया जा सकता है, इन्हें प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में सूबेदार एडज्यूटैंट, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में सूबेदार क्वार्टर मास्टर, जिला प्रशिक्षण संस्था, जी०आर०पी० और अन्य इकाइयों में सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस और जिलों में उप यातायात निरीक्षक के नामों से पदाभिहित किया जा सकता है।	नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी आदेश द्वारा रिजर्व सब इंस्पेक्टर पाठ्यक्रम की विहित प्रक्रिया द्वारा चयनित किये जाने के पश्चात व्यावहारिक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।
		(ख) विद्यमान खण्ड (ट) के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा दिया जाएगा, अर्थात :- (ठठ) "सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है, जिसे किसी नीति के अधीन पुलिस विभाग की किसी इकाई में प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी सहित पुलिस विभाग की किसी इकाई में समान पद पर तैनात या स्थानान्तरित किया जा सकता है, इन्हें प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में सूबेदार एडज्यूटैंट, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में सूबेदार क्वार्टर मास्टर, जिला प्रशिक्षण संस्था, जी०आर०पी० और अन्य इकाइयों में जिलों में सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस और जिलों में यातायात उप निरीक्षक के रूप मे पदाभिहित किया जा सकता है।	
		(ग) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ण) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		(ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य उस कैलेण्डर वर्ष से है जिसमें भर्ती की जाय।	(ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है।
नियम 4 का संशोधन		4- उक्त नियमावली में, नियम 4 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
सेवा का संगठन		4.(2) सेवा की सवस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी जब तक कि उप नियम (1) के अधीन	(2) सेवा की सवस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने

उस पारवाहित करने वाला आदेश पारित न हो;

क्र. सं.	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग
1	रिजर्व इन्स्पेक्टर	74	232	306
2	रिजर्व सब-इन्स्पेक्टर	–	07	07
3	सब इन्स्पेक्टर आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर	238	706	944
4	मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी	1489	4813	6311
5	आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी	21777	6672	28449

वाला आदेश पारित न हो; निम्न प्रकार होगी

क्र. सं.	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग
	(क) निरीक्षक आर्म्ड पुलिस			
1	पीएसी में दलनायक/ शिविरपाल	84	222	306
2	जिलों में रिजर्व इंस्पेक्टर	--	76	76
3	प्रशिक्षण संस्थान व अन्य इकाईयों में रिजर्व इंस्पेक्टर	–	26	26
4	जिलों में यातायात निरीक्षक	05	04	09
5	सुरक्षा शाखा	29	–	29
	योग	118	328	446
	(ख) रिजर्व सब-इन्स्पेक्टर			
1	पीएसी	09	–	09
2	जिला पुलिस	28	--	28
3	जी0आर0पी0	07	–	07
4	केन्द्रीय रिजर्व, सीतापुर	01	–	01
	योग	45	–	45
	(ग) प्लाटून कमाण्डर			
1	पीएसी में	253	652	905

	प्लाटून कमाण्डर			
2	उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस	–	217	217
3	जी०आर०पी०	–	38	38
4	प्रशिक्षण निदेशालय उ०प्र० लखनऊ	–	74	74
5	एस०टी०एफ० लखनऊ	–	01	01
6	केन्द्रीय भण्डार, कानपुर	–	06	06
7	यातायात उपनिरीक्षक	86	04	90
8	सुरक्षा शाखा	115	–	115
	योग	454	992	1446
	(घ) मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी			
1	पीएसी	1806	4372	6178
2	सुरक्षा शाखा	144	–	144
	योग	1950	4372	6322
	(ङ.) आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी			
1	पीएसी	7872	19115	26987
2	सुरक्षा शाखा	303	–	303
	योग	8175	19115	27290

परन्तु यह कि :-
(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनर्निधारित कर सकता है;
(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को

परन्तु यह कि :-
(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनर्निधारित कर सकता है;
(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को

		बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; (तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।	बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; (तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।
नियम 5 का संशोधन		5- उक्त नियमावली में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्डों (घ) और (ङ.) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		5 (घ) रिजर्व उपनिरीक्षक :- मौलिक रूप से नियुक्त उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर और सिविल पुलिस के उपनिरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। रैंकधारी उपनिरीक्षकों के लिये यह आवश्यक है कि उन्होंने उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/सिविल पुलिस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन के वर्ष की एक जनवरी को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। सीधे भर्ती हुये उपनिरीक्षक के लिये यह आवश्यक है कि उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/सिविल पुलिस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन के वर्ष की एक जनवरी को कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	5 (घ) रिजर्व उपनिरीक्षक :- मौलिक रूप से नियुक्त उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से चयन द्वारा। रैंकधारी उपनिरीक्षकों/आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के मामले में यह आवश्यक है कि (एक) उन्होंने उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन के वर्ष की एक जनवरी को कम से कम तीन वर्ष की (x) सेवा पूर्ण कर ली हो। (दो) सीधे भर्ती हुये उपनिरीक्षक/आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के लिये यह आवश्यक है कि उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भर्ती के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष (x) की सेवा पूर्ण कर ली हो।
		(ङ.) रिजर्व निरीक्षक :- ऐसे रिजर्व सब इन्स्पेक्टरों में से पदोन्नति द्वारा -जिन्होंने विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण और परिवीक्षा काल पूर्ण कर लिया हो; और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।	(ङ.) रिजर्व निरीक्षक :- ऐसे रिजर्व उपनिरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा (एक) जिन्होंने विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो; (दो) अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए रिजर्व उपनिरीक्षक पाठ्यक्रम परीक्षा की योग्यता सूची में उच्चतर रैंक पर हो।

(x) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस। (दोनों स्थानों पर)

RSI

नियम 6 का प्रतिस्थापन		6- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबंधों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबंधों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। परन्तु शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी की सेवाओं के लिये पात्र नहीं होंगे; परन्तु यह और कि केन्द्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिए आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।
नियम 9 का संशोधन		7- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अधिमानी अर्हताएं		9- अन्य बातों के सामान्य होने पर भी सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने – (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।	9- अन्य बातों के सामान्य होने पर भी सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने – (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो; या (तीन) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो; या (चार) किसी विश्वविद्यालय या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विधि संस्थान से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त किया हो। टिप्पणी :- उपर्युक्त वर्णित अधिमानी अर्हताओं के कोई अंक नहीं होंगे किन्तु यदि दो या दो से

			अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को अन्तिम चयन में अधिमान दिया जाएगा।
नियम 10 का संशोधन		8- उक्त नियमावली में, नियम 10 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (एक) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		(एक) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के लिए :- आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो; परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय।	(एक) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के लिए :- आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि भर्ती वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती हेतु रिक्तियां विज्ञापित की जाय, के प्रथम दिवस को पुरुष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो; परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय।
नियम 15 का संशोधन		9- उक्त नियमावली में, नियम 15 में, (क) खण्ड (क) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपखण्ड (तीन) और (सात) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान उपखण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
		(तीन) आवेदन पत्र कार्बन प्रति सहित ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा;	(तीन) आवेदन पत्र ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा;
		(सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, बारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति	(सात) अभ्यर्थी द्वारा अपनी अर्हताओं यथा-आयु, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट और स्नातक/स्नातकोत्तर, खेल, राष्ट्रीय कैडेट कोर, जाति, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण का

		प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिये। समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये जहां से वे क्रय किये गये हों।	लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का उल्लेख ओ0एम0आर0 पत्रक में विहित स्थान पर किया जायेगा। इन अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां, मूल प्रमाण-पत्रों के साथ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र बल के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र बल के अधिकारी, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण-पत्रों से, प्रमाण-पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त जमा करेंगे। समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये जहां से वे क्रय किये गये हों।
		(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		(ख) बुलावा पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जाँच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहां से आवेदन पत्र क्रय किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावापत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये लाये जाने हेतु	(ख) बुलावा पत्र बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जाँच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जाएंगे जहां से आवेदन पत्र क्रय किये गये हों। बोर्ड सम्यक रूप से विचार विमर्श के पश्चात बुलावा पत्र भेजने के किन्हीं अन्य समुचित साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावापत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित

		अपेक्षित हों, को बुलाया पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहियें। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते है, इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा द्वितीय बुलावापत्र जारी किया जायेगा।	किया जायेगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहियें। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते है, इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा द्वितीय बुलावापत्र जारी किया जायेगा।
		(ग) विद्यमान खण्ड (ड.) (च) और (छ) निकाल दिये जायेंगे	
		(घ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ज) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		(ज) चरित्र सत्यापन - नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहाँ तक सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। (क) चरित्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर, होम गार्ड प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिको के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। (ख) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र ,खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित	(ज) लिखित परीक्षा - शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट 4 में दी गयी है।

		अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा।		

(ड.) खण्ड (ज) के पश्चात निम्नलिखित नये खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :-

(झ) श्रेष्ठता सूची-

अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा, प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के सापेक्ष श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांक सहित श्रेष्ठता सूची, वेबसाइट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी जिससे कि वे स्वयं, इस तथ्य के बिना कि वे अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण हैं, अपने प्राप्तांकों की जांच कर सकें। वाह्य सहायित एजेंसी जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची के आधार पर समुचित साफ्टवेयर विकसित करेगी। तद्नुसार जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियाँ प्रकाशित की जायेंगी। बाह्य सहायित एजेंसी जिसने लिखित परीक्षा संचालित की हो, अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रकों के साथ मुहरबंद आवरण में प्राप्तांकों की सूची बोर्ड के अध्यक्ष को उपलब्ध करायेगी।

टिप्पणी- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर औसत अंक प्राप्त करते है तो एक के बाद एक निम्नलिखित विधियों से उनकी श्रेष्ठता के गतिरोध दूर किये जायेंगे:-

(1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या, राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जायेगा।

(2) उक्त बिन्दु-(1) के उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी को बराबर-बराबर औसत अंक प्राप्त हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो।

(3) इसके उपरान्त भी यदि बराबर-बराबर अंक एवं एक ही जन्मतिथि हो तो फिर ऐसे अभ्यार्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने अभिरुचि परीक्षण में उच्चतर अंक प्राप्त किये हों।

(4) इसके उपरान्त भी यदि बराबर-बराबर अंक, एक ही जन्मतिथि तथा अभिरुचि परीक्षण में एक से ही औसत अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले हो।

(ञ) चिकित्सा परीक्षा

लिखित परीक्षा में सफल व चयनित अभ्यर्थियों से चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। नियम-13 के अनुसार बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-3 में दी गई है। चिकित्सा परीक्षा में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को बोर्ड

		द्वारा संस्तुति नहीं की जायेगी।
		(ट) अनन्तिम चयन सूची नियम-15(ञ) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कराये गये चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की अनन्तिम चयन सूची अभिलेख एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने के अधीन श्रेणीवार तैयार कर बोर्ड द्वारा संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को भेजी जायेगी।
		(ठ) चरित्र सत्यापन- नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहाँ तक सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। (एक) चरित्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाणपत्र, खेल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिको के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। (दो) अभ्यर्थियों की जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र ,खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों की तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा। (तीन) उपरोक्तानुसार चरित्र सत्यापन की सम्पूर्ण कार्यवाही का निष्पादन पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन नियुक्त-पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। चरित्र सत्यापन में पाये गये किसी प्रतिकूल तथ्य से अभ्यर्थी नियुक्त हेतु अपात्र हो जायेगा।
नियम 16 का संशोधन		10- उक्त नियमावली में, नियम 16 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियाँ विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जायेंगी। केवल ऐसे प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी आरक्षी जिनकी आयु 40 वर्ष पूर्ण न हुई हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।	(क) पदोन्नति के लिए तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जायेंगी। केवल ऐसे प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी आरक्षी भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को जिनकी आयु 40 वर्ष पूर्ण न हुई हो और जिसकी इस दिनांक तक आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गयी हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।

नियम 17 का संशोधन	11	उक्त नियमावली में नियम 17 में विद्यमान खण्ड (तीन) के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:- "(चार) जन संचार के किन्हीं अन्य साधनों द्वारा।"

नियम 18 का संशोधन	12 (क)	उक्त नियमावली में नियम 18 में- नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये खण्ड (क) में विद्यमान उप खण्डों (तीन) और (छः) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये उपखण्ड प्रति स्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात:-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान उपखण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
		(तीन) आवेदन पत्र कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा।	(तीन) आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा;
		(छः) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथा स्थिति आयु, वसवी, बारहवी और स्नातक/ स्नातकोत्तर, के प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के मामलों में यूनिट डिचार्ज प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।	(छः) अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा "आयु, हाई स्कूल, इण्टरमीडियट और स्नातक/ स्नातकोत्तर, खेल, राष्ट्रीय कैडेट कोर, जाति, होम गार्ड, भूतपूर्व सैनिक या स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने" का उल्लेख ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर किया जायेगा। इन योग्यताओं से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां मूल प्रमाण-पत्रों के साथ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र के अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण-पत्रों से, प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों का भली भांति मिलान करने के उपरान्त जमा करेंगे।
	(ख)	नीचे स्तम्भ 1 में विद्यमान खण्डों (ख) और (ड.) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड प्रति स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		(ख) बुलावा पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व	(ख) बुलावा पत्र बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षा के समय प्रमाण

किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदनपत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जाएंगे जहां से आवेदनपत्र क्रय किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावापत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदनपत्र का क्रमिक कोड देना होगा।

(घ.) शारिरिक दक्षता परीक्षण-

खंड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता मानक स्टार-एक के स्तर की होगी। बोर्ड, उक्त परीक्षा के मानकों को परिवर्तित करने या उच्चीकृत करने के लिये सशक्त होगा जो कि किसी भी दशा में स्टार-एक के मानकों से कमतर न होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-8 में विहित की गयी हैं।

पत्रों की प्रतियां को गिला मूल प्रमाण पत्र से कर लिया गया है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जायेगें जहां आवेदन पत्र क्रय प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड गहन विचारोपरान्त बुलावा पत्र भेजने के लिए किसी अन्य उपयुक्त साधन का भी उपयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/ परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए लेजाने हेतु अपेक्षित हो को बुलावा पत्रों स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नही होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते है, इस संबंध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा।

(ङ.)शारीरिक दक्षता परीक्षण-

खंड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड 55 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों के लिये 05 किलोमीटर की दौड 30 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-8 में दी गयी है।

	(ग)	विद्यमान खण्ड (छ) (ज) और (झ) निरूपित किये जायेंगे।
	(घ)	अन्त में निम्नलिखित नये खण्ड जोड़ दिये जायेंगे, अर्थात
	18(ञ)	<u>समूह परिसंवाद</u> खंड (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से एक समूह-परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जिसके लिए 10 अभ्यर्थियों का प्रत्येक पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया बोर्ड के अध्यक्ष या पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नामिती एक अपर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा एक पैनल के परिवेक्षण में संपादित की जायेगी, जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक, एवं अपराध-विज्ञानी, सम्मिलित होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस बाद अध्ययन से संबंधित कुछ समस्यायें परिचर्चा के लिए प्रस्तुत की जायेगी और सम्पूर्ण समूह-परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जायेगा। समूह परिसंवाद के लिए 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक), अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन किया जाएगा। <u>टिप्पणी-1</u>- समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जाएगी और उसकी एक काम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। <u>टिप्पणी-2</u> चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अनुसार किया जायेगा। <u>टिप्पणी-3</u> लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया परिशिष्ट-9 में विहित की गयी प्रकार से होगी।
	(ङ)	<u>चयन और श्रेष्ठता सूची-</u> खंड(च) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा खंड (ग) के अधीन समूह परिसंवाद में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जाएगा। बोर्ड आरक्षण नीति विषय निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। बोर्ड वेब साइट पर चयन सूची को सभी अभ्यर्थियों के लिये तत्काल अपलोड करेगा। <u>टिप्पणी:-</u> यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान औसत अंक प्राप्त करते है तो एक के बाद एक निम्नलिखित विधियों से उनकी श्रेष्ठता के गतिरोध दूर किये जायेंगे:- (1) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हो।

(2) इसके उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अपलीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी केवल एक अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त करेगा।

(3) इसके उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान औसत अंक हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो।

(4) तब भी यदि औसत अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले हो।

(ठ) **चिकित्सा परीक्षा**

मुख्य लिखित परीक्षा व समूह परिसंवाद के उपरान्त नियम-18 (ट) में चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। नियम 13 के अनुसार बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट 10 में दिया गया है। चिकित्सा परीक्षा में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की बोर्ड द्वारा संस्तुति नही की जायेगी।

(ड) **औपबन्धिक चयन सूची**

नियम-18 (ठ) के अधीन बोर्ड द्वारा कराये गये चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की औपबन्धिक सूची अभिलेख एवं चरित्र सत्यापन के साथ उपयुक्तता के अधीन श्रेणीवार तैयार कर बोर्ड द्वारा संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को भेजी जायेगी।

(ढ) **चरित्र सत्यापन-**

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहाँ तक सम्भव हो, एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

(एक) चरित्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(दो) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र ,खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा।